हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 48 / 2017 GCMS NO. 2017/00405 **जनवानी पारली आदि बनाम बाबूलाल आदि** **अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955**	
14.08.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर आये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 9 से 12, 16, 17, 23 से 33, 37 से 41, 48, 52 की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादीगण ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादी संख्या 9 से 12, 16, 17, 23 से 33, 37 से 41, 48, 52 की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 9 से 12, 16, 17, 23 से 33, 37 से 41, 48, 52 की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादीगण का हस्तगत वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

14/8/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(सविता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी